राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1127–एक/14 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
14.5.15	यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2013 एवं 12.03.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत पगरावदकला के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया। कि पगरावदकला में भूमि खाता क्रमांक 609 कुल किता 20 कुल रकवा 5.985 है0, भूमि काशी बाई के नाम भू–अभिलेख में दर्ज है। तथा खाता क्रमांक 755 कुल किता 5 कुल रकवा 4.487 व खाता नं. 558 कुल किता 3 कुल रकवा 0941 है0 भूमि में 1/4 के मान से काशीबाई का हिस्सा है। काशीबाई की मुत्यु हो जाने पर मृतक के स्थान पर पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत पगरावदकला के द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25. 04.2010 व ठहराव दिनांक 04.06.2004 से पंजीकृत वसीयत क्रमांक 26 दिनांक 31.01.1986 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश का पालन राजस्व अभिलेख में नहीं होने से मृतक काशीबाई का नाम भी अभिलेख में दर्ज रहा। उक्त आदेश के उपरान्त पटवारी ग्राम के द्वारा पृथक से नामान्तरण पंजी में अनुक्रमांक 74 पर दर्ज कर दिनांक 28.03.2006 को नायब तहसीलदार टप्पा अवन्तिपुर बडोदिया से मृतक की जगह अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत कराया गया। नायब तहसीलदार टप्पा अवन्तिपुर के आदेश के विरूद्ध नरेन्द्र कुमार एवं सुनील कुमार द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर के समक्ष	

प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 से समयावधि में नहीं मानते हुये निरस्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 20.02.2013 से स्वीकार की गयी, जिसके विरूद्व अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन गोपाल सिंह, घासीराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 से निरस्त किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रकरण प्रस्तुत की गयी है।

2– आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को सूचना दी जाकर पटवारी मौजा द्वारा मौके पर हिस्से के मान से बंटवारा फर्द बुलायी गयी थी। जिसपर उभय पक्षों के हस्ताक्षर है, व उसके पश्चात् स्वत्वानुसार फर्द बंटवारे के मान से अलग–अलग भूमि पर उभयपक्ष के नाम भूमि स्वामी स्वत्वों का बंटवारा किया गया था। व वर्ष 2011–12 खसरा–बी में नाम दर्ज हुआ था, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2004 में किया गया नामान्तरण अवैध होने से निरस्ती योग्य है। क्योंकि उस समय पंचायत को नामान्तरण करने का अधिकार नहीं था, नरेन्द्र कुमार, सुनील कुमार द्वारा जो प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर को प्रस्तुत की गयी थी। वह पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 से अवधि बाह्य मानकर निरस्त हुयी थी। उक्त आदेश अपने स्थान पर विधिवत् था, जिसे अपास्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है।

3– अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत को नामान्तरण करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी नामान्तरण किया गया था, अनावेदकगण वर्ष 2004 में अपना नामान्तरण बताते है। उक्त दिनांक 25.04.2004 को किये गये ठहराव पर सरपंच सीताबाई ग्राम पंचायत पगरावदकला की केवल शील लगी हुयी है, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। वर्ष 2000 से 2005 के दौरान ग्राम पंचायत पगरावद में सीताबाई सरपंच ही नहीं थी, उस समय सरपंच श्री बाबूलाल जी रहे है।

सीताबाई को दिनांक 16.02.2005 को नवनिर्वाचित सरपंच होने से चार्ज प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दिनांक 25.04.2004 को जो नामान्तरण किया गया है, वह पूर्णतः फर्जी एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि वसीयतकर्ता की मुत्यु को लगभग 11–12 वर्ष हो चुके है इन 11–12 वर्षो में नामान्तरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अपने आप में शंकास्पद है, इस कारण भी वसीयत संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में फर्जी वसीयतनामा के आधार पर जो नामान्तरण आदेश ग्राम पंयायत द्वारा किया गया है, वह वैधानिक नहीं है। इसलिये अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5– अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा आदेश धारा 5 परिसीमा अधिनियम के बिन्दु पर किया था। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष मात्र इतना प्रश्न विवादित था। कि अपील अवधि बाह्य है अथवा नहीं किन्तु उनके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर किया गया है। जिसका उन्हें अधिकार हीं नहीं था, इसलिये अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त अवैधानिक आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। इसलिये उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि दो पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जोकि प्रचलन योग्य हीं नहीं है, एवं उनके द्वारा बताया गया कि अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया।

7– अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि काशीबाई की मुत्यु हो जाने पर मृतक के स्थान पर पंजीकृत वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत पगरावदकला द्वारा

प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25.04.2004 व ठहराव दिनांक 04.06.2004 से वसीयत क्रमांक 26 दिनांक 31.01.1986 के आधार पर जो नामान्तरण किया गया था। वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है, ऐसी स्थिति में नामान्तरण पंजी अनुक्रमांक 74 पर जो नामान्तरण दिनांक 28.03.2006 को स्वीकृत किया गया है। वह वैधानिक नहीं है ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित किये गये है। वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा आवेदकगण की और से प्रस्तुत निगरानी को बलहीन एवं सारहीन बताये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8– उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने एवं अभिलेख का परीक्षण करने से यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 04.06.2004 एवं दिनांक 25.04.2004 के आधार पर वसीयतनामा का उल्लेख कर नामान्तरण आदेश पारित किये गये है। जबकि वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है। क्योंकि ग्राम पंचायत विवादितों प्रकरणों का निराकरण नहीं कर सकता। इस प्रकरण में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत सरपंच सीताबाई एवं सचिव से मिल जुलकर ठहराव प्रस्ताव तैयार कराये गये है। जबकि उक्त दिनांक को सीताबाई ग्राम पंचायत की सरपंच ही नहीं थी, ठहराव प्रस्ताव पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। केवल ग्राम पंचायत की शील लगी है, ऐसी स्थिति में उक्त ठहराव प्रस्ताव को विधिवत् नही माना जा सकता है। वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण चाहने वाले व्यक्ति को वसीयतनामा शंका से परे प्रमाणित करना होता है। चूकि इस प्रकरण में वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित हीं नहीं है। और न हीं उसको प्रमाणित कराया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता तहसीलदार टप्पा अवन्तिपुर बडोदिया द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 74 पर विधिवत् रूप से आदेश दिनांक 28.03.2006 पारित किया है, जिसमें मृतक के सभी वैध वारिसों को हिस्से अनुसार स्वत्व निर्धारित कर नामान्तरण किया है, ऐसे विधिवत् आदेश को अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी कारण के निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है। उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी

शुजालपुर द्वारा परिसीमा के बिन्दु पर आदेश पारित किया था। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष मात्र यह प्रश्न विवादित था। कि उपरोक्त अपील समय सीमा में है अथवा नहीं, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिकारिता से बाहर जाकर आदेश प्रकरण के गुण दोषों पर पारित किया है। जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क कि दो पृथक–पृथक आदेशो के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जो प्रचलन योग्य नहीं है उक्त आपत्ति के संबंध में पूर्व में हीं निर्णय लिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अब उसपर विचार किया जाना उचित नहीं है। जहॉ तक अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 74 पर जो आदेश पारित किया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित है, एवं ग्राम पंचायत को अविवादित मामलों में नामान्तरण आदेश पारित करने की अधिकारिता है। जबकि इस प्रकरण में वसीयतनामा के आधार पर आदेश पारित किया गया है। वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर ठहराव प्रस्ताव में नहीं है। और न हीं वह उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच हीं थीं। ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित किये गये है। वह अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2013 एवं पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 अपास्त किये जाते हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 तथा नायब तहसीलदार टप्पा अवन्तिपुर बडोदिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2006 स्थिर रखे जाते है।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

माननीय न्यायालय राजस्व सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 1120-I/14

1– गोपालसिंह पिता श्री सरदारसिंह,

2– घासीराम पिता श्री बलदेवसिंह

3– रामचन्द्र पिता श्री आत्माराम

4– अमृतलाल पिता श्री आत्माराम

समस्त निवासीगण–ग्राम पगरावदकला, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर ––––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– नरेन्द्र कुमार पिता रूगनाथसिंह

2– सुनिल पिता रूगनाथसिंह

3– प्रमोद पिता

निवासीगण–ग्राम पगरावदकला, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

4– गीताबाई पुत्री आत्माराम पति माखनसिंह खाती निवासी–बड़ोदिया तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

5– खबुबाई पुत्री आत्माराम बेवा मुंशीलाल खाती निवासी–ग्राम धामन्दा तहसील इच्छावर जिला सीहोर

6– जमनाबाई पुत्री आत्माराम पति कैलाश निवासी–पोलायकला, ज़िला शाजापुर

7– अनारबाई बेवा आत्माराम खाती निवासी–ग्राम पगरावद, तह. शुजालपुर जिला शाजापुर

8– रघुनाथ पिता नारायणसिंह

9– लट्टुबाई पति कैलाश नारायण पुत्री सरदारसिंह निवासीगण–मोहम्मद पावड़िया जिला शाजापुर

10– अचरज बाई पति मदनलाल पुत्री सरदारसिंह खाती निवासी–खामखेड़ा बैजनाथ तह. आष्टा जिला सीहोर ––––––रेस्पान्डेंटगण

4/4/14